2

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 जयपुर, दिनांक : 23.5.08

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **भाग–IV का संशोधन .–** राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के भाग– IV में, –

(i) विद्यमान नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–
"17. **प्रतियोगी परीक्षा .–** सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा इन नियमों के अनुसार आयोजित की जायेगी।"

(ii) जहां कहीं भी अभिव्यक्तियां "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हों, उनके स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) इन नियमों के आंग्ल पाठ में जहां कहीं भी अभिव्यक्तियां "them/it" या "they/it" आयी हों, उनके स्थान पर अभिव्यक्तियां क्रमशः "them" या "they" प्रतिस्थापित की जायेंगी।

(iv) इन नियमों के आंग्ल पाठ में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "their/its" आयी हो, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "their" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(डॉ. लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव।

21/08